



F.42(40)/NHM/AAM/Health Mela/2023-24/503

दिनांक:- 9/2/24
महत्वपूर्ण

आदेश

भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे आयुष्मान भवः अभियान एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (पीएचसी/उप स्वास्थ्य केन्द्र) में हर माह के प्रत्येक शनिवार को मेला आयोजित किये जाने एवं रिपोर्टिंग हेतु पत्र क्रमांक F.42 (40) / NHM / AAM / Health mela / 2023-24 / 434 दिनांक 13.12.2023 व 477 दिनांक 20.01.2024 द्वारा विस्तृत रूप से निर्देशित किया गया था।

राज्य स्तर पर की गयी समीक्षा से ज्ञात हो रहा है, कि जिलों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (पीएचसी/उप स्वास्थ्य केन्द्र) पर मेलों का आयोजन ही नहीं किया जा रहा है अथवा आयोजन पश्चात् रिपोर्ट को सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को पाबन्धित करावे कि आयुष्मान भवः कार्यक्रम के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (पीएचसी/उप स्वास्थ्य केन्द्र) में हर माह के प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक रूप से थीम आधारित आयुष्मान हैल्थ मेलों का आयोजन दिनांक 31 मार्च, 2024 तक करवाएं तथा आयोजित किये गये हैल्थ मेलों की रिपोर्टिंग भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

उपर्युक्त संस्थानों पर मेलो के आयोजन नहीं होने पर सम्बन्धित संस्थानों के अधिकारियों/कार्मिकों को अनुपस्थित मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

(शुभ्रा सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग
राजस्थान सरकार


दिनांक:- 9/2/24

F.42(40)/NHM/AAM/Health Mela/2023-24/503

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
6. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
7. विशेषाधिकारी, एनएचएम राजस्थान।
8. निदेशक वित्त, एनएचएम राजस्थान।

9. समस्त जिला कलेक्टर को प्रति भेजकर लेख है कि आपके स्तर से इसकी समीक्षा करें।
10. निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 सरकार।
11. निदेशक—आरसीएच चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवाएं राज0, जयपुर।
12. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम।
13. परियोजना निदेशक, आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
14. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी राज्य मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है, कि जिलो से सम्पर्क स्थापित कर मेलों के आयोजन की समीक्षा करे।
15. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 समीक्षा करे।
16. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुये औचक निरीक्षण करे।
17. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (हैल्थ) राजस्थान।
18. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
19. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान, राजस्थान।
20. समस्त सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिकों को आवश्यक पालनार्थ।
21. प्रभारी, सर्वर कक्ष को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई—मेल किये जाने हेतु।
22. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

Health Mela Status Date:08.02.2024

S.No.	District	AAM-PHC	AAM-SHC	Grand Total
1	Ajmer	40	213	262
2	Alwar	55	355	412
3	Banswara	32	202	239
4	Baran	20	132	152
5	Barmer	12	110	122
6	Bharatpur	27	156	185
7	Bhilwara	77	291	377
8	Bikaner	6	62	69
9	Bundi	19	146	166
10	Chittaurgarh	24	131	157
11	Churu	1	19	20
12	Dausa	4	75	79
13	Dholpur	2	40	42
14	Dungarpur		19	19
15	Ganganagar	26	60	86
16	Hanumangarh	11	61	73
17	Jaipur	51	343	452
18	Jaisalmer		5	6
19	Jalore	22	132	156
20	Jhalawar	2	27	29
21	Jhunjhunu	27	196	224
22	Jodhpur	26	154	187
23	Karauli	15	115	134
24	Kota	29	86	129
25	Nagaur	87	365	455
26	Pali	69	128	197
27	Pratapgarh	3	46	49
28	Rajsamand	33	55	89
29	Sawai Madhopur	1	75	76
30	Sikar	18	168	187
31	Sirohi	12	33	47
32	Tonk	38	174	214
33	Udaipur	16	204	220
Grand Total		805	4378	5311

AAM	No	Health Mela Conducted	%
PHC	2092	805	38.48
SHC	6780	4378	64.57
Total	8872	5183	58.42